N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (जिला): ALWAR   P.S. (थाना): TEHLA   Year (वर्ष): 2026

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0096   Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 20/04/2026 22:53 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 22/05/2024   Date To (दिनांक तक): 01/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 20/04/2026   Time (समय): 21:37 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 036   Date & Time (दिनांक एवं समय): 20/04/2026 21:37:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पूर्व, 8.33 किमी   Beat No. (बीट सं.) : तालाब 1

(b)Address(पता): TALAB, TEHLA

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):   District(State) (जिला (राज्य)):

आज यह FIR ... टहला की ओर से ... ने पेश ... अन्वेषण नतीजे के साथ पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ जिला अलवर (राजस्था

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ (अलवर) राजस्थान सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपि लेखक न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ (अलवर

1. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KAILASH CHAND BHARDWAJ

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAMDYAL BHARDWAJ

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1971 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GOLA KA BAS, TEHLA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GOLA KA BAS, TEHLA, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-9414790713

Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	LALLURAM GURJAR		पत्नी:PARSADA	1. LOSAL GURJARAN,TEHLA,ALWAR,RAJ
2	MUNSHIRAM GURJAR		पिता:PARSADA	1. LOSAL GURJARAN,TEHLA,ALWAR,RAJ
3	SHREERAM		पिता:PARSADA	1. LOSAL GURJARAN,TEHLA,ALWAR,RAJ
4	HARBAI		पत्नी:RAMKARAN GURJAR	1. LOSAL GURJARAN,TEHLA,ALWAR,RAJ
5	JAYSINGH GURJAR		पिता:RAMKARAN GURJAR	1. LOSAL GURJARAN,TEHLA,ALWAR,RAJ
6	MAHESH CHAND GURJAR		पिता:RAMKARAN GURJAR	1. LOSAL GURJARAN,TEHLA,ALWAR,RAJ
7	KALI		पिता:RAMKARAN GURJAR	1. DEVNAGAR BARDOD,BEHROR,BAHROR,KOTPUTLI-

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ (अलवर) राज. सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

				BEHROR,RAJASTHAN,INDI/
8	MANOHAR DEVI		पिता:RAMKARAN GURJAR	1. BALDEVGARH,TEHLA,ALWA
9	NARSIRAM GURJAR		पिता:CHUTTAN LAL GURJAR	1. LOSAL,TEHLA,ALWAR,RAJA
10	GAURAV PARASAR		पिता:NARAYAN PARASAR	1. 108,VARD 05 OLD DHARMASHALA BACK,OLD ANAJ MANDI KOT MOHLLA, KOT FARIDABAD,फरीदाबाद ओ फरीदाबाद,हरियाणा,INDIA
11	MUKESH GURJAR		पिता:LALLU RAM GURJAR	1. LOSAL,TEHLA,ALWAR,RAJA
12	SURENDER GURJAR		पिता:JAGDISH GURJAR	1. LOSAL,TEHLA,ALWAR,RAJA:
13	PARVEEN DAHIYA			1. HAL TAHSILDAR TEHLA,TEHLA,TEHLA,ALWAI RAJASTHAN,INDIA
14	NARENDER MEENA			1. HAL PATWARI HALKA TALAB,TEHLA,TEHLA,ALWAF AJASTHAN,INDIA
15	NARAYAN LAL MEENA			1. HAL GIRDAVAR MANDAL TALAB,TEHLA,TEHLA,ALWAF AJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय , राजगढ़ (अलवर) परिवाद पत्र संख्या सन् 2025 कैलाश चन्द्र भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामदयाल भारद्वाज आयु करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम गोला का बास पुलिस थाना टहला जिला अलवर (राजस्थान) --------प्रार्थी/परिवादी बनाम 1. लल्लूराम पुत्र स्व. प्रसादा आयु करीब 78 वर्ष, 2 मुन्शीराम पुत्र स्व. प्रसादा आयु करीब 73 वर्ष, 3. श्रीराम पुत्र स्व. प्रसादा आयु करीब 65 वर्ष, 4. हरबाई पत्नि स्व. रामकरण गुर्जर आयु करीब 82 वर्ष, 5 जयसिंह पुत्र स्व. रामकरण गुर्जर आयु करीब 43 वर्ष, 6. महेश चन्द पुत्र स्व.रामकरण गुर्जर आयु करीब 38 वर्ष समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम लोसल गुर्जरान तहसील टहला जिला अलवर 7. काली पुत्री स्व. रामकरण पत्नि प्रेमचन्द गुर्जर आयुं करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम लोसल गुर्जरान तहसील टहला हाल निवासी देवनगर बर्डोदतहसील बहरोड जिला कोटपूतली-बहरोड 8 मनोहर देवी पुत्री स्व. रामकरण पत्नि धन्नी उर्फ धन्नाराम गुर्जर आयु करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़ (अलवर) राज. सत्यमेव जयते

Scanned with OKEN Scanner

लोसल गुर्जरान तहसील टहला हाल निवासी ग्राम बल्देवगढ़ तहसील टहला जिला अलवर 9. नरसी राम गुर्जर पुत्र छुट्टन लाल गुर्जर जाति गुर्जर आयु करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर 10 गौरव पाराशर पुत्र नारायण पाराशर जाति ब्राह्मण आयु करीब 28 वर्ष निवासी म. न. 108, वार्ड नं. 5, पुरानी धर्मशाला के पीछे, ओल्ड अनाज मण्डी, कोट मौहल्ला, ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा 11. मुकेश गुर्जर पुत्र लल्लू राम गुर्जर जाति गुर्जर आयु करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवर 12 सुरेन्द्र पुत्र जगदीश गुर्जर जाति गुर्जर आयु करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम लोसल तहसील टहला जिला अलवरड 13. प्रवीण दहिया (चौधरी) हाल तहसीलदार टहला तहसील टहला जिला अलवर 14 नरेन्द्र मीना हाल पटवारी पटवार हल्का तालाब तहसील टहला जिला अलवर 15. नारायण लाल मीना हाल गिरदावर मण्डल तालाब तहसील टहला जिला अलवर---------------अभियुक्तगण परिवाद पत्र अन्तर्गत द्वारा 61(2), 316 (2), 318 (4), 198, 201, 336(3), 338 बी.एन.एस. श्रीमान्, मिन परिवादी / प्रार्थी निम्न निवेदन करता है- यह कि परिवादी ग्राम गोला का बास तहसील टहला जिला अलवर का निवासी हूँ। हाल आराजी खसरा संख्या 1739/0.20, 1745/0.13, 1771/0.36, 1772/0.05 कुल किता 4 कुल रकबा 0.74 हैक्टेयर वाके ग्राम तालाब तहसील टहला जिला अलवर के अभियुक्तगण संख्या 01 लगायत 08 मुताबिक हिस्सा के गैर खातेदार काश्तकार रहे हैं। 2. यह कि अभियुक्तगण सं 01 लगायत 08 ने उपरोक्त आराजीयात के बेचान का प्रस्ताव परिवादी के समक्ष रखते हुये दिनांक 22.05.2024 को उपरोक्त आराजीयात को 13,00,000/- रूपये में परिवादी को बेचान का सौदा कर दिया तथा साईपेटे में परिवादी से जरिये चैक संख्या 834246, 834247, 834248, 834239 के कुल 3,00,000/- रूपये अभियुक्तगण सं. 01 लगायत 08 ने प्राप्त कर लियें। अनुबन्ध पत्र बेचान 500/- रूपये के स्टाम्प पर लिखकर अभियुक्तगण सं. 01 लगायत 08 ने परिवादी के हक में गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी करके नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराकर मिन परिवादी को असल इकरारनामा बेचान सुपुर्द कर दिया। परिवादी व अभियुक्तगण सं. 01 लगायत 08 के मध्य शर्ते तय हुई कि अभियुक्त संख्या 01 लगायत 08 आगामी 06 माह के अन्दर अन्दर उपरोक्त आराजीयात को गैर खातेदारी से खातेदारी कराकर बकाया राशि प्राप्त करते हुये बयनामा मिन परिवादी के हक में पंजीबद्ध करा देगें। 3. यह कि छह माह के अन्दर अन्दर अभियुक्तगण सं. 01 लगायत 08 द्वारा स्वयं के नाम उपरोक्त आराजीयात का गैर खातेदारी से खातेदारी नाम दर्ज नहीं करा सके, इस कारण अभियुक्त सं. 01 लगायत 08 ने परिवादी से अतिरिक्त समय की मांग करते हुये खातेदारी कराकर मिन परिवादी के नाम बयनामा कराने का विश्वास दिलाया तथा इस बाबत दिनांक 17.03.2025 को एक इकरारनामा 100/-रूपये के स्टाम्प पर गवाहान के समक्ष लिखकर व 50,000/- रूपये की राशि जरिये चेक प्राप्त करके नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराकर मिन परिवादी को सौंप दिया तथा तय पाया कि गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज होते ही बयनामा करा देगें एवं दिनांक 22.05.2024 का इकरारनामा बेचान पूर्ववर्ती शर्तानुसार प्रभावी रहेगा। 4. यह कि अभियुक्त सं. 01 लगायत 08 ने दिनांक 28.11.2025 को उक्त आराजीयात को गैर खातेदारी से खातेदारी स्वयं के नाम दर्ज करा ली तथा मिन परिवादी को खातेदारी होने की जानकारी नहीं दी गई। अभियुक्त सं. 01 लगायत 08 ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलीभगत करते हुये आपराधिक षड्यंत्र रचकर मिन परिवादी को नुकसान पहुँचाने की नियत से दिनांक 01.12.2025 को उपरोक्त आराजीयात को अभियुक्त सं. 09 नरसी रान को बेचान कर दी तथा अभियुक्त सं. 09 द्वारा दिनांक 04.12.2025 को उपरोक्त आराजीयात को अभियुक्त सं. 10 को बेचान कर दिया। अभियुक्तगण को भली भाँति मिन परिवादी के अनुबन्ध पत्र जबान की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त बयनामें कराये गये हैं। जिस पर (राज अभियुक्त सं. 11 व 12 ने अन्य अभियुक्तगण संख्या 01 लगायत 09 के परिवारजन के सदस्य होने व पूर्व अनुबन्ध पत्र बेचान की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त नुमाईशी व फर्जी बयनामों पर अपनी साक्ष्य दी हैं। 5 यह कि उक्त आराजी पूर्व से अभियुक्त सं. 01 लगायत 08 के नाम गैर खातेदारी में दर्ज होने पर भी अभियुक्त सं. 13 लगायत 15 ने आपराधिक षड्यंत्र करते हुये, व लोक कर्त्तव्यों के विरूद्ध कार्य करते हुये उक्त आराजीयात को गैर खातेदारी से खातेदारी में इन्द्राज किया है तथा अपने ही परिचित व्यक्ति को बयनामा पंजीबद्ध कराया है, चूंकि उक्त आराजीयात के बाबत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत दिनांक 01.10.2025 को आवंटन निरस्त करवाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम अलवर के यहाँ पत्र क्रमांक भू.अ./2025/2462 दिनांक 01.10.2025 के जरिये उक्त आराजी के साथ अन्य आराजीयात के बाबत पत्रावली प्रेषित कर दी गई जिस आवंटन निरस्त पत्रावली में अभियुक्त सं. 14 व 15 पटवारी एवं गिरदावर द्वारा उपरोक्त आराजी पर अभियुक्त सं. 01 लगायत 08 का मौके पर कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट करते हुये अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं। इसके बावजूद भी अभियुक्त सं. 13 लगायत 15 ने अन्य अभियुक्तगण से साज बाज होकर अपने पदीय अधिकारों को दुरूपयोग करते हुये गैर खातेदारी से खातेदारी में इन्द्राज कर दिया जो कि उक्त कृत्य सभी अभियुक्तगण के छलकपट, धोखाधडी व आपराधिक षड्यंत्र को जाहिर करता हैं। 6. यह कि दिनांक 01.12.2025 के बयनामें के माध्यम से कोई भी लेन देन राशि अभियुक्तगण के मध्य नहीं हुई हैं जो कि बयनामा शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता हैं तथा उक्त समस्त कार्यवाही अन्तर्गत 07 दिवस के अन्दर अन्दर की गयी हैं, जो कि अभियुक्तगण की मिलीभगत व बदयान्ति को स्पष्ट जाहिर करता हैं। अभियुक्तगण का उपरोक्त कृत्य आपराधिक षड्यंत्र रचकर छल कपट, धोखाधडी, लोकसेवक के अधिकारों/कर्त्तव्यों के विपरीत कार्य करने व अमानत में खयानत के अपराध में आता हैं एवं काबिल सजा हैं। 7. यह है परिवादी के साथ उपरोक्त फर्जकारी

सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
राजगढ़ (अलवर) राज०

Scanned with OKEN Scanner

की घटना ग्राम तालाब व तहसील परिसर टहला पुलिस थाना टहला जिला अलवर में घटित हुई हैं इसलिये परिवाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने की वजह से न्यायालय हाजा द्वारा सुने जाने योग्य हैं। 8. यह हैं कि परिवादी दिनांक 10.12.2025 को उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस थाना टहला गया तो पुलिस ने तहरीर लेकर रख ली एवं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिस पर परिवादी ने दिनांक 11.12.2025 को पुलिस अधीक्षक अलवर के रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र जरिये डाक भिजवाया, लेकिन अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई इस वजह से बिना देरी आज परिवाद पत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत हैं। अतः परिवाद पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान् से निवेदन हैं कि परिवाद पत्र को धारा 175 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना टहला जिला अलवर को भिजवाया जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाकर उन्हें दण्डित किये जाने की कृपा करें। दिनांक 11.12.2025 एसडी कैलाश चन्द्र भारद्वाज परिवादी कैलाश मन्द्र भारद्वाज पुत्र स्व. श्री रामदयाल भारद्वाज निवासी ग्राम गोला का बास पुलिस थाना टहला जिला अलवर (राजस्थान) -----------कार्यवाही पुलिस-------------उपरोक्त टाईपसुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 175(3) बीएनएसएस का न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजि० राजगढ से परिवादी श्री कैलाशचन्द भारद्वाज पुत्र श्री रामदयाल भारद्वाज उम्र 55 साल निवासी गोला का बास पुलिस थाना टहला जिला अलवर का जरिये डाक प्राप्त थाना हुआ मजमून इस्तगासा से मामला जुर्म धारा 318(4),316(2),61(2) बीएनएस के वकू में आना पाये जाने पर मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश श्री राजेन्द्र कुमार स०उ०नि० के जुम्में की गई। इस्तगासा की नकल अक्षर श अक्षर सीसीटीएनएस कंप्यूटर में फीड की जाने के उपरान्त एफआईआर जारी होने पर क्रमांक पृथक से नीचे अंकित किये जावेगें। एसडी मुकेश कुमार पु०नि० थानाधिकारी पुलिस थाना टहला जिला अलवर दिनांक 20.04.2026

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया): or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): RAJENDRA KUMAR Rank (पद): सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Mukesh Kumar Meena
Location: Rajasthan,IN
Date: 20/04/2026 23:

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MUKESH KUMAR MEENA

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):